12-5-16 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके
द्वार अभियान 2016 के ... उक्त केस में राजीनामा
हेतु ... 28.6.16 ग्राम पंचायत ... बरोल
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

23.6.16 => पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी के वकील हाजिर। प्रकरण में जवाब इकरार पेश हुआ। पक्षकारान् के वकील जवाब देना नहीं चाहते हैं, सीधे बहस करना चाहते हैं अतः उनकी भी आवश्यकता नहीं होने से पक्षकारान के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बरोल की जमाबंदी सं० 2069-72 के खाता सं. नया पुराना 363-344 खसरा नं. 79 रकबा 00-07-00 गै.मु. चाह के वादीगण का 3/8 हिस्सा है। वादीगण का निवेदन है कि प्रतिवादीगण स्वयं, उनके अधिनस्थ असायनीय, वारिसान, रिश्तेदार मजदूर एवं मित्रगण हितैषी हाली सीरी इत्यादि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादवर्णित चाह व खुली भूमि जिसमें वादीगण का संयुक्त 3/8 हिस्सा मिहित है उसमें वादीगण के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही उक्त खुली भूमि में भविष्य में काश्त करे न ही काश्त कराये। न ही आने जाने में बाधा डाले। यानि दस्तंदाजी से मनमुक्त व बाज रखावे।

प्रतिवादी के लायक वकील श्री एन. सी. जैन ने बहस करते हुए बताया कि खसरा नं. 79 रकबा 0.07.00 गै.मु. चाह है। वादीगण इस आराजी कुए में 3/8 हिस्से के हकदार हैं। वादीगण उनके हिस्से अनुसार कुएं का उपयोग उपभोग कर रहे हैं रिक्त पड़ी हुई भूमि का वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे हैं, दिनांक 5.9.15 को प्रतिवादीगण ने उनको कोई धमकी नहीं दी है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा किया है। अतः भारी खर्चा लगाकर वाद खारिज किया जावे। जवाब इकरार पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने लायक वकीलों की बहस पर गौर किया।
ग्राम बरोल की जमाबंदी सं. 2069-72 के खाता सं. नया-पुराना 363-344 खसरा नम्बर 79 रकबा 00-07-00 गै.मु. चाह में वादीगण का 3/8 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 5 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6, 7 का 1/16, 8 से 10 का 1/16, प्रतिवादी सं. 11 व 12 का 1/8 हिस्सा है। अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 188, 209, 212 RTAct का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण स्वयं उनके अधिनस्थ

गीता लाल जाट
औम प्रकाश
जगदीश

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

अभ्यर्थीय, वारिसान, रिश्तेदार, मजदूर एवं मित्रगण हितैषी, हाली सीरी इत्यादि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादवर्णित चाह व खुली भूमि जिसमें वादीगण का संयुक्त 3/8 हिस्सा निहित है उसमें वादीगण के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। न ही उक्त खुली भूमि में वादीगण के हिस्से 3/8 तक कास्त करे, ना करावें। डिक्री पर्चा इस आशय का जारी हो, खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय अटल सेवा केन्द्र बरोल में सुनाया गया।

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर